प्रेषक,

मिशन निदेशक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
जनपद– रामपुर

पत्रांक– एस.पी.एम.यू. / सहयो0पर्य0 / रामपुर / 2023–24 / 123 / 1300 दिनांक 16.05.2023

विषय– दिनांक 26–30 अप्रैल, 2023 में राज्य स्तरीय भ्रमण दल द्वारा किये गये सहयोगात्मक पर्यवेक्षण में पायी गयी कमियों को निस्तारित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के पत्र संख्या–SPMU/NHM/M&E/2023-24/04/320-2 दिनांक 13.04.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके माध्यम से राज्य स्तरीय दल द्वारा सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के अर्न्तगत जनपद रामपुर का भ्रमण कर जनपद में संचालित स्वास्थ्य सेवाओं एवं वित्तीय व्यय की समीक्षा कर आख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त निर्देशों के अनुपालन में राज्य स्तरीय दल द्वारा दिनांक 26–30 अप्रैल, 2023 को जनपद रामपुर का भ्रमण कर जनपद में संचालित स्वास्थ्य सेवाओं एवं वित्तीय व्यय की समीक्षा कर आख्या उपलब्ध करायी गयी है।

उपरोक्त आख्या इस पत्र के साथ संलग्न कर आपको इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि भ्रमण के दौरान पायी गयी कमियों को तीन दिवसों के अन्दर निस्तारित कराते हुए बिन्दुवार अनुपालन आख्या / कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को हार्ड एवं साफ्ट कापी प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

<u>संलग्नक–भ्रमण आख्या।</u>

भवदीया,

(अपर्णा उपाध्याय)
मिशन निदेशक

पत्रांक– एस.पी.एम.यू. / सहयो0पर्य0 / रामपुर / 2023–24 / 123 / 1300 तद्दिनांक–

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
2. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
3. मण्डलायुक्त, मुरादाबाद मण्डल मुरादाबाद।
4. जिलाधिकारी / अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, जनपद– रामपुर।
5. अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मुरादाबाद मण्डल मुरादाबाद।
6. समस्त महाप्रबंधक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से कि अपने कार्यक्रम से सम्बन्धित बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही हेतु जनपद को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।
7. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक / अधीक्षिका, जिला पुरूष / महिला चिकित्सालय जनपद– रामपुर।
8. जिला कार्यक्रम प्रबंधक, एन0एच0एम0 जनपद–रामपुर को इस निर्देश के साथ कि आख्या का अनुपालन कराते हुए कृत कार्यवाही की प्रगति–रिपोर्ट प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

(डी0सी0 त्रिपाठी)
नोडल अधिकारी
जनपद–रामपुर / सम्भल

Scanned with CamScanner

सहयोगात्मक पर्यवेक्षण भ्रमण आख्या

जनपद–रामपुर

मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक संख्या SPMU/NHM/M&E/2023-24/04/320-2 दिनांक 13.04.2023 का संदर्भ ग्रहण करना चाहें। पत्र में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में राज्य स्तरीय दल द्वारा दिनांक 26.04.2023 से 30.04.2023 तक **जनपद रामपुर** के विभिन्न इकाईयों का भ्रमण किया गया जिसकी भ्रमण आख्या निम्नलिखित है।

राज्य स्तरीय टीम के सदस्यः–

1. श्री अरविन्द कुमार त्रिपाठी, परामर्शदाता, आई0ई0सी0, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0।
2. श्री परमहंस सिंह कुशवाहा, प्रोग्राम कोआर्डिनेटर आर0बी0एस0के0, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0।

जिला महिला चिकित्सालय, जनपद–रामपुर

क्र.	अवलोकन बिन्दु	सुझाव / सुधारात्मक कार्यवाही	उत्तरदायित्व
1	• पी0एन0सी0 वार्ड में साफ–सफाई नही पायी गयी। • वार्ड में बेडों पर बेड सीट कई दिनों से बदली नहीं जा रही थी। • लेबर रूम एवं लेबर वार्ड में साफ–सफाई का अभाव था।	• पी0एन0सी0 वार्ड की सफाई किया जाने का सुझाव दिया गया। • वार्ड का रख रखाव, प्रतिदिन राउण्ड लेकर सुनिश्चित करें • वार्ड में प्रतिदिन बेड सीट चेन्ज कराना (कलर कोडेड)	सहायक मैट्रर्न
2	• लेबर रूम मे डाक्यूमेन्ट के रख रखाव में कमियॉ पायी गयी। • केससीट एवं प्रसव रजिस्टर के डाटा में अन्तर था तथा प्रसव रजिस्टर को पूर्ण रुप से भरा नहीं जा रहा था। • कैलीस पैड पंचर था। • लेबर रुम के बाहर आलमारी में शूकवर नहीं था • थ्री बकेट कलर के अनुसार अपूर्ण था। • लेबर रुम से जुड़ा टायलेट का ढक्कन टूटा हुआ था। • अप्रैल माह में कुल 196 प्रसव हुए जिसमें में से 137 नार्मल, 3 असिस्टेड तथा 56 सी–सेक्शन के थे। • लेबर रुम में अल्फा मेथाइलडोपा टैबलेट नहीं था	• समस्त डाक्यूमेन्ट का मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से समय पर सीन कराना सुनिश्चित करें। • डाक्यूमेन्ट के रख रखाव के लिये बताया गया। • सामानों की व्यवस्था करने हेतु सुझाव दिया गया है । • मेडिसीन की व्यवस्था करने हेतु सुझाव दिया गया है ।	सिस्टर इंचार्ज लेबर रूम व पी0एन0सी0 वार्ड मुख्य चिकित्सा अधीक्षक मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
3	• फेमिली प्लानिंग कार्यक्रम के अन्तर्गत इन्जेक्टेबल एम0पी0ए0 –171, आई0यू0सी0डी0–135 तथा लैप्रोस्कोपिक स्टेरेलाइजेशन– 28 किये गये हैं।		
4	• जे0एस0वाई0 पेमेन्ट समय–2 पर सुनिश्चित करें।		एकाउन्टेन्ट
5	• जे0एस0एस0के0 रजिस्टर अपूर्ण भरा गया था एवं प्रसव रजिस्टर में भिन्नता पायी गयी।	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को अवगत कराया गया की स्टॉफ नर्स के साथ मीटिंग करके	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक

Scanned with CamScanner

		रजिस्टर के सभी कालम भरवाया जाये।	
6	• आर0के0एस0 का रजिस्टर का न मीटिंग करायी गयी है प्रिन्ट रजिस्टर नहीं पाया गया	अधीक्षक महोदय से इन बिन्दुओं पर सुझाव दिया गया	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
7	• ए0एफ0एच0एस0 काउन्सलर के पास कम्प्यूटर नहीं था।	काउन्सलर हेतु खरीदे गये कम्प्यूटर तत्काल उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया है।	डी0पी0एम0
8	• टीकाकरण रुम में पुरानी आई0ई0सी0 लगी थी • पी0पी0आई0यू0सी0डी0 रुम में बहुत गंदगी थी लगभग 6 महीने से प्रयोग की गयी पी0पी0आई0सी0डी0 बाल्टी में ही पड़े थे	नई आई.ई.सी लगाने तथा साफ सफाई पर ध्यान देने का सुझाव दिया गया।	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
9	• श्रीमती प्रियंका अधिकारी नर्स मेन्टर बिना सूचना के कई दिनों से अवकाश पर थी। • आर0के0एस0 रजिस्टर प्रिन्टेड नहीं था।	अवकाश पर जाने से पूर्व सक्षम अधिकारी को सूचना देकर जाने का सुझाव दिया गया। प्रिन्टेड रजिस्टर उपलब्ध कराने को कहा गया।	मुख्य चिकित्सा अधिकारी
10	• वर्ष 2022–23 में जिला महिला चिकित्सालय में कुल रु0 89.02 लाख व्यय किय गया है। • वर्ष 2023–24 में 7 मदों –पी0पी0आई0यू0सी0डी0, जे0एस0वाई0, स्टेरीलाईजेशन, एल0एम0यू0 ऑपरेशनल कॉस्ट एवं सपोर्ट ऑफ डीएच0 में कुल रु0 15.18 लाख कमिट कराया गया है।	कमिटेड धनराशि को तत्काल व्यय करने हेतु सुझाव दिया गया।	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक

<u>सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र–बिलासपुर जनपद–रामपुर</u>

क्र.	अवलोकन बिन्दु	सुझाव/सुधारात्मक कार्यवाही	उत्तरदायित्व
1	• पी0एन0सी0 में सफाई की व्यवस्था ठीक नहीं थी • ईकाई पर कोई एल0एम0ओ0 नहीं है। प्रसव का कार्य स्टॉफ नर्स द्वारा किया जा रहा है। • सभी बच्चों को बी0सी0जी0 का टीका नहीं लग रहा था। • 7 ट्रे सिस्टम सही जगह पर व्यवस्थित नहीं रखा गया था। • लेबर रुम के बाहर शुकवर/स्लीपर नहीं था। • के0एम0सी0 चेयर नहीं था। • वार्ड में जेएसएसके डाईट चार्ट नहीं था। • लेबर रुम में अल्फा मेथाइलडोपा टैबलेट नहीं था	• इकाई पर जन्मे सभी बच्चो बी0सी0जी0 टीका लगाने एवं वार्ड में साफ सफाई हेतु सुझाव दिया गया। मेडिसीन की व्यवस्था करने हेतु सुझाव दिया गया है ।	चिकित्सा अधीक्षक
2	• सी0बी0 नेट मशीन काम नहीं कर रहा था। • साथिया क्लीनिक में पेसेन्ट डीटेल रजिस्टर नहीं था।	• मशीन ठीक कराने व रजिस्टर उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया।	चिकित्सा अधीक्षक
3	• बिलासपुर के समस्त सी0एच0ओ0 के साथ बैठकर उनके उद्देश्य एवं कार्यो को समझाया गया। उनके द्वारा लक्ष्य पूरा न होने के कारण पूरा	• लक्ष्य का पूरा करने का सुझाव दिया गया।	चिकित्सा अधीक्षक

Scanned with CamScanner

	इन्सेन्टिव नहीं मिल पा रहा था।		
4	• अप्रैल माह में 76 नार्मल प्रसव हुए। • फेमिली प्लानिंग कार्यक्रम के अन्तर्गत इन्जेक्टेबल एम0पी0ए0 49 एवं इन्टरवल आई0यू0सी0डी0 8 किये गये। • मेल, मीनीलैप एवं लेप्रोस्कोपिक स्टेरीलाइजेशन के केस शून्य थे।	स्टेरीलाइजेशन के केस बढाने हेतु सुझाव दिये गये	चिकित्सा अधीक्षक
5	• वर्ष 2022–23 में रु0 114.12 लाख के सापेक्ष रु0 103.14 लाख व्यय किये गये। • वर्ष 2023–24 हेतु प्रिगनेन्सी रजिस्टेशन, टीम बेस्ड इन्सेन्टिव, जे0एस0एस0के0 एवं स्टेरीलाइजेशन आदि मदों में रु0 2.17 लाख की धनराशि कमिट कराई गयी है।	कमिटेड धनराशि अभिलम्ब व्यय करने हेतु सुझाव दिया गया है।	चिकित्सा अधीक्षक

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र–चमरौआ जनपद–रामपुर

क्र.	अवलोकन बिन्दु	सुझाव/सुधारात्मक कार्यवाही	उत्तरदायित्व
1	• मानव संसाधन की कमी थी। • इकाई पर प्रसव नहीं होता है। • चिकित्सा अधीक्षक के रुम में कोई आई0ई0सी नही लगा था। • शूरैक मे स्लीपर नहीं था। • जे0एस0एस0के0 के मानक नहीं लिखे हुए थे। • शिकायत पेटिका नहीं लगी थी। • आर0के0एस0के0 काउन्सलर के पास कम्प्यूटर नहीं था। वार्ड में साफ सफाई की व्यवस्था नहीं था।	• सफाई व्यवस्था ठीक करने के लिये सुझाव दिया गया। • जे0एस0एस0के0 मानक लिखवाने का सुझाव दिया गया।	चिकित्सा अधीक्षक

उपकेन्द्र एवं हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर–परम

क्र.	अवलोकन बिन्दु	सुझाव/सुधारात्मक कार्यवाही	उत्तरदायित्व
1	• छाया वी0एच0एस0एन0डी0 पर ड्यूलिस्ट पूर्ण नही था ड्यूलिस्ट न तो आगनबाडी कार्यकत्री एंव आशा के पास अपडेटेड नही था।	• ड्यूलिस्ट प्रापर अपडेट हेतु आगनबाडी कार्यकत्री, आशा को डियू लिस्ट हेतू अपडेट करने हेतू जानकारी दिया।	आशा एवं आंगनबाडी कार्यकत्री,ए0एन0एम0
2	• अति कुपोषित बच्चों की सूची आंगनबाडी कार्यकत्री एवं ए0एन0एम0 के पास नहीं थी।	• आंगनबाडी कार्यकत्री के पास अतिकुपोशित बच्चो की सूची न होने पर मुख्य सेविका से बात किये और उनको जानकारी दी।	आंगनबाडी कार्यकत्री

वी0एच0एस0एन0डी0–करमचा

क्र.	अवलोकन बिन्दु	सुझाव/सुधारात्मक कार्यवाही	उत्तरदायित्व
4	• वी0एच0एस0एन0डी0 सत्र का स्थल ठीक नही था सत्र पर गर्भवती महिलाओं की जांच हेतु व्यवस्था ठीक नही थी सत्र पर प्राइवेसी की ब्ययस्था नही थी।	सत्र का स्थल परिवर्तन हेतु सुझाव दिया गया कि सत्र वहां पर आयोजित कीजिए जहां पर सभी आवश्यक जांच की जा सके।	ए0एन0एम0/आशा/आंगनबाडी कार्यकत्री

Scanned with CamScanner

	• ड्यूलिस्ट में किसी भी लाभार्थी का लक्ष्य नहीं था।	सत्र लक्ष्य के आधार नवीन स्थल पर अन्तरित करने का सुझाव दिया गया।	एम0एच0 परामर्शदाता

जनपद स्तर पर आर0बी0एस0के0 की मोबाइल हेल्थ टीम के साथ बैठक–

क्र.	अवलोकन बिन्दु	सुझाव/सुधारात्मक कार्यवाही	उत्तरदायित्व
1	• मोबाइल हेल्थ टीम के सभी सदस्यों के साथ बैठकर उनकी समस्याओं पर चर्चा किया गया। • टीम के पास समस्त इक्यूपमेन्ट नहीं था। • दो टीम के पास लैपटॉप नहीं था। • टीम के पास रेफरल बच्चों की लाइनलिस्ट नहीं थी। • रेफरल बच्चों के सापेक्ष जिला स्तर पर उपचारित बच्चों की संख्या गलत दर्शायी गई थी।	• टीम से संबंधित उपकरण स्टोर में खरीद कर रखे गये थे। टीमो को बुलाकर बैठक के दि नही समस्त उपकरण एवं लाजिस्टिक्स उपलब्ध कराया गया। • रिपोर्ट की आंकड़े को सही करने को कहा गया। • समय–समय पर टीम की समीक्षा बैठक कराना सुनिश्चित किया जाये।	नोडल अधिकारी आर0बी0एस0के0/ डी0ई0आई0सी0 मैनेजर

राज्य स्तरीय टीम द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी से भेंट कर फीडबैक दिया गया तथा बैठक में उपस्थिति जिला कार्यक्रम प्रबन्धक को निम्न सुझाव दिये गये –

- जनपद व ब्लाक स्तर पर अधिकारियों द्वारा भ्रमण कार्ययोजना मूवमेन्ट रजिस्टर भ्रमण रिपोर्ट आदि प्रॉपर नहीं बनायी जा रही है जिससे जनपद में सहयोगात्मक पर्यवेक्षण गति धीमी है उक्त को सुचारू रूप से किये जाने का सुझाव दिया गया।
- जनपद व ब्लाक स्तर पर फिजिकल व फाइनेंशियल अभिलेखों पर संबंधित अधिकारियों द्वारा अवलोकन हस्ताक्षर नहीं किये जा रहे, जिसको सुनिश्चित कराने हेतु सुझाव दिया गया।
- जनपद द्वारा अधिकारियों की टीम निर्माण कर प्रत्येक फैसिलिटी के लेबर रूम का एसेसमेन्ट कराने एवं सुसज्जित कराये जाने का सुझाव दिया गया।
- एच०एम०आई०एस० तथा यू०पी०एच०एम०आई०एस० के ऑकड़ों की नियमित समीक्षा तथा वैलिडेशन प्रत्येक स्तर पर किया जाए।
- सभी इकाईयों में रोगी कल्याण समिति की बैठकें नियमानुसार करते हुए उसकी कार्यवाही प्रॉपर बनाई जाये तथा व्यय की धनराशि रजिस्टर में दर्शाया भी जाये। निर्धारित प्रारुप पर प्रिन्टेड आर0के0एस0 रजिस्टर कहीं भी देखने को नहीं मिला।
- जनपद/ब्लाक स्तर पर Printing/आई.ई.सी को तत्काल पूर्ण कराने का कहा गया।
- स्वास्थ्य इकाईयों में JSSK कार्यक्रम के अन्तर्गत डाइट रजिस्टर मेन्टेन कराना तथा डाइट चार्ट को वार्डों में दीवार लेखन कराये जाने का सुझाव दिया गया।

(परमहंस सिंह कुशवाहा)
प्रोग्राम कोआर्डिनेटर आर0बी0एस0के0

(अरविन्द कुमार त्रिपाठी)
परामर्शदाता, आई0ई0सी0

Scanned with CamScanner